

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 23/2016

अपीलान्त
जब्बर सिंह पुत्र वीरसिंह जाति राजपूत,
निवासी पावा, तहसील सुमेरपुर जिला
पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट :-

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी
तहसीलदार सुमेरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

श्री शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक:- 15/11/18

अपीलान्त की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 51/2015 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2016 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का पावा की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा अपीलाण्ट्स के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम पावा के खसरा नम्बर 1374 रकबा 0.80 हैक्टेयर गै0मु0 नदी की भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी किया। अपीलाण्ट के नाम से नोटिस जारी किया, उक्त नोटिस न ही अपीलाण्ट का प्राप्त हुआ, एवं न प्रोपर तामिल हुई, उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये जुर्माना आरोपित किया एवं आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट्स को तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर अपीलाण्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण माना, किन्तु अपीलाण्ट को किस प्रकरण में बेदखल किया गया यह रेकॉर्ड में दर्ज शुदा नहीं है। अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजी पर सेटलमेंट से पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजी पर नियमन का हकदार है, एवं पट्टा प्राप्ती का भी हकदार है। अपीलाण्ट को गलत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमी बताकर जैर अपील



3
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश पारित किया गया है जो कि विधि विरुद्ध है। तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलाण्ट्स द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं करते हुए, जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरुद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि कर ग्राम पावा के खसरा नम्बर 1374 रकबा 0.80 हैक्टेयर गै0मु0 नदी की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट्स के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये हैं। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पावा के खसरा नम्बर 1374 रकबा 0.80 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का पावा द्वारा तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलाण्ट्स द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा किया है, इस पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 28.09.2015 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट स्वयं द्वारा तामील प्राप्त हुआ। उसके पश्चात जैर अपील आदेश पारित किया गया। तहसीलदार सुमेरपुर की आदेशिका पर अपीलाण्ट स्वयं के हस्ताक्षर मौजूद है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को 91 से सम्बन्धित कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। अपीलाण्ट द्वारा यह कथन किया गया है कि उनका जैर अपील वादस्थ भूमि पर किसी प्रकार का पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न अपीलाण्ट को पूर्व में दिनांक 13.11.2014 को पारित आदेश की पालना में दिनांक 16.11.2014 को अपीलाण्ट को जैर अपील विवादित भूमि से बेदखल किया गया था। अपीलाण्ट द्वारा यह कथन किया गया है कि जैर अपील वादस्थ भूमि उनकी खातेदारी भूमि थी, जिसे भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान नदी दर्ज की है, जो विधि विरुद्ध है। यदि अपीलाण्ट के इन तथ्यों में बल होता, तो निश्चय ही अपीलाण्ट द्वारा भू-प्रबन्ध के दौरान की गई तथाकथित त्रुटी को दुरुस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जाती, जो किया जाना न तो रेकॉर्ड पर आया है एवं न ही अपीलाण्ट द्वारा इस बिन्दु पर किसी प्रकार का जिक्र किया है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में जैर अपील विवादित भूमि गै0मु0 नदी की भूमि है। जो कि राजस्थान काश्तकारी




d
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधिनियम 1955 की धारा 16 में आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है तथा प्रतिबन्धित श्रेणी में शुमार होने से खातेदारी अधिकार भी प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। इसके साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित है। इसके अतिरिक्त नदी की भूमि कॉमन लैण्ड में भी शुमार है, जिसके बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये हैं। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 51/2015 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2016 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ० बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली